UPBJ240029212017

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, बिजनौर।

फौजदारी वाद सं0: 280/2017

सरकार बनाम एहसान आदि

मु0अ0सं0– 291/2016

थाना– नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

आरोप

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर आप **एहसान, इकरार उर्फ भूरा एवं इस्तखार** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 27–10–2015 को समय करीब 11–00 बजे, स्थान ग्राम बूलचंदपुर, सीमान्तर्गत थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में आप लोगों ने एकराय होकर वादी मुकदमा जावेद के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **323** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एकराय होकर वादी मुकदमा उपरोक्त को धारदार हथियार से मारकर उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **324** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा उपरोक्त को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के उददेश्य से गन्दी–2 गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **504** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा उपरोक्त को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा **506** भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

दिनांक : 02–07–2022

(अखिल कुमार निझावन)
जे0एम0, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांक : 02–07–2022

(अखिल कुमार निझावन)
जे0एम0, नजीबाबाद,
बिजनौर। यू.पी. 03212